रजिस्ट्री सं. डी.एस.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 204] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 1993/आश्विन 12, 1915
No. 204] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 1993/ASVINA 12, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 167/(पीएन) 92–97

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1993

फा.सं. 9/2/93ई पी.सी.—निर्यात-आयात नीति, 1992–97 के पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक, 1992–97 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) अध्याय 8 में पैराग्राफ 147 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—

"147. स्कीम (क) से लेकर (ङ) के अन्तर्गत निर्यातकों के लिये स्वर्ण/चांदी के प्रतिशत का मान नीचे दी गई तालिका के अनुसार उपलब्ध हुए मूल्य संयोजन से जुड़ा हुआ है।"

(2) अध्याय 8 में पैराग्राफ 147 के नीचे तालिका 1 के शीर्षक के रूप में पढ़े जाने वाले "स्वर्ण वेस्टेज मानदण्ड" को संशोधित करके "वेस्टेज मानदण्ड" पढ़ा जायेगा।

(3) अध्याय 8 में पैराग्राफ 147 के नीचे की तालिका 1 के दोनों कालमों में प्रविष्टि सं. "ग" को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"ग" सादे या जड़ित स्वर्ण आभूषणों में प्रयुक्त स्वर्ण माउंटिंग्स और फाइंडिंग्स जिसका निम्नानुसार मूल्य संयोजन हो :—	
(1) 15% से अधिक तथा 40% तक मूल्य संयोजन	भार में स्वर्ण अंतर्वस्तु 3% तक हो
(2) 40% से अधिक तथा 50% तक मूल्य संयोजन	भार में स्वर्ण अंतर्वस्तु 5% तक हो
(3) 50% से अधिक मूल्य संयोजन	भार में स्वर्ण अंतर्वस्तु 8% तक हो

(4) अध्याय 8 में पैराग्राफ 147 के नीचे तालिका-1 में निम्नलिखित संबंधित कालमों में जोड़ा जायेगा :—

"घ" निम्नानुसार मूल्य संयोजन (चांदी की अंतर्वस्तु और वैस्टेज) वाले सादे/ जड़ित चांदी के आभूषण तथा वस्तुएं :—	
(1) 25% से अधिक तथा 40% तक मूल्य संयोजन	शोर में चांदी की अंतर्वस्तु 5% तक हो
(2) 40% से अधिक मूल्य संयोजन	शोर में चांदी की अंतर्वस्तु 7% तक हो

(5) अध्याय 8 में पैराग्राफ 147 की तालिका-1 के नीचे टिप्पणी का उपर्युक्त तालिका-1 में दिये गये "वेस्टेज मानदण्ड भी आवश्यक परिवर्तनों सहित सादे, प्लेटिनम के आभूषण एवं वस्तुओं तथा जड़ित प्लेटिनम के आभूषण और वस्तुओं के निर्यात पर लागू हों" के रूप में पढ़े जाने वाले प्रथम वाक्य को संशोधित करके "उपर्युक्त तालिका-1 की श्रेणी क,ख और ग के अन्तर्गत दिये हुए स्वर्ण आभूषण के लिये वेस्टेज मानदण्ड आवश्यक परिवर्तनों सहित प्लेटिनम के सादे/जड़ित आभूषण और वस्तुओं के निर्यात पर लागू होंगे। के रूप में पढ़ा जायेगा।

(6) अध्याय 8 में पैराग्राफ 150(6) के 13वीं पंक्ति में आने वाले शब्दों "स्वर्ण वेस्टेज" को संशोधित करके "स्वर्ण/चांदी के वैस्टेज" पढ़ा जायेगा।

(7) अध्याय 7 पैराग्राफ 150(ग)(3) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :—

(3) यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया है और यह कि सोने/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं में उपयोग किये गये सोने/चांदी का तत्व जमा अनुमित संगत वेस्टेज दोनों का मूल्य संयोजन इस अध्याय में पैरा 147 के अन्तर्गत तालिका 1 में दिये गये मूल्य संयोजन से कम न हो। सादे और बने हुए स्वर्ण आभूषणों के लिये सीमाशुल्क प्राधिकारी इस बात की भी सुनिश्चित करेंगे कि वेस्टेज सहित होने के अंश पर सादे सोने के आभूषणों के लिये 10% की और जड़े हुए सोने के आभूषणों के लिये 15% की न्यूनतम निर्धारित सीमा से अतिरिक्त तथा इस स्कीम के अधीन उपलब्ध वेस्टेज सहित चांदी के अंश पर सादे और जड़े हुए चांदी के आभूषणों के लिये 25% की न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक, यदि कोई मूल्य संयोजन है अथवा नहीं; और

(8) अध्याय 8 पैरा 150(12) में बारहवीं पंक्ति में विद्यमान "स्वर्ण वेस्टेज" शब्दों को संशोधित करके "स्वर्ण/चांदी वेस्टेज' पढ़ा जायेगा।

(9) अध्याय 8 में पैरा 150(14)(2) के नीचे दी गई टिप्पणी में विद्यमान शब्दों "इस प्रकार संगणित किये गये शुद्ध सोने के आंकड़े (वेस्टेज सहित) और चांदी (वेस्टेज रहित)" को संशोधित करके "इस प्रकार संगणित किये गये शुद्ध सोने/चांदी के वेस्टेज सहित आंकड़े" पढ़ा जायेगा।

(10) अध्याय 8 पैरा 151(2) में चौथी पंक्ति में विद्यमान शब्दों "स्वर्ण वेस्टेज" को संशोधित करके "स्वर्ण/चांदी वेस्टेज" पढ़ा जायेगा।

(11) अध्याय 8 पैरा 151(5)(2) को संशोधित करके निम्नवत् पढ़ा जायेगा :—

"(2) सोने/चांदी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि स्वर्ण/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं में प्रयुक्त सोने/चांदी के तत्व और साथ ले जाने के लिये अनुमित स्वर्ण/चांदी की वेस्टेज दोनों का मूल्य संयोजन कुल मिलाकर इस अध्याय में वेस्टेज मानदण्डों को तालिका 1 में दिये गये मूल्य संयोजन से कम न हो।"

(12) अध्याय 8 में पैरा 151(7)(4) के नीचे दी गई टिप्पणी में विद्यमान शब्दों "इस प्रकार संगणित किये गये शुद्ध सोने के आंकड़े (वेस्टेज सहित) और चांदी (वेस्टेज रहित)" को संशोधित करके "इस प्रकार संगणित किये गये शुद्ध सोने/चांदी की वेस्टेज सहित आंकड़" पढ़ा जायेगा।

(13) अध्याय 8 पैरा 151(6) में छठी पंक्ति में विद्यमान "स्वर्ण वेस्टेज" शब्दों को संशोधित करके "स्वर्ण/चांदी वैस्टेज" पढ़ा जायेगा।

(14) अध्याय 8 पैरा 152(2) में अन्तिम दो वाक्यों को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"स्वर्ण/चांदी की बुकिंग का आदेश देते समय निर्यातक अपने द्वारा दावा किये जाने वाली प्रस्तावित वेस्टेज पर विचार करेगा। स्वर्ण/चांदी वेस्टेज को गणना में लेने के पश्चात् एक बार स्वर्ण/चांदी की मात्रा बुक होने पर तत्पश्चात् सोने/चांदी की हकदारी के लिये कोई अतिरिक्त हकदारी का दावा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।"

(15) अध्याय 8 में पैरा 152(9)(4) के नीचे दिये गये पैरा की चौथी पंक्ति में विद्यमान शब्दों "स्वर्ण वेस्टेज" और 8वीं पंक्ति में विद्यमान शब्दों "प्रयुक्त

स्वर्ण" को संशोधित करके क्रमश: "स्वर्ण/चांदी वेस्टेज" और "स्वर्ण/चांदी प्रयुक्त" पढ़ा जायेगा।

(16) अध्याय 8 में पैराग्राफ 152(10)(2) संशोधित होकर निम्नानुसार पढ़ा जायगा :—

"(2) यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संयोजन प्राप्त कर लिया गया है। सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सोने/चांदी के आभूषणों और वस्तुओं में उपयोग किये गये सोने/चांदी का तत्व जमा अनुमित संगत वेस्टेज दोनों का मूल्य संयोजन इस अध्याय में पैरा 147 के अन्तर्गत सालिका-1 में दिये गये मूल्य संयोजन से कम न हो। सादे और जड़े हुए स्वर्ण आभूषणों के लिये सीमाशुल्क प्राधिकारी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि वेस्टेज सहित सोने के अंश पर सादे सोने के आभूषणों के लिये 10% की और जड़े हुए सोने के आभूषणों के लिये 15% की न्यूनतम निर्धारित सीमा से अतिरेक तथा इस स्कीम के अधीन उपलब्ध वेस्टेज सहित चांदी के अंश पर सादे और जड़े हुए चांदी के आभूषणों के लिये 25% की न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक, यदि कोई मूल्य संयोजन है अथवा नहीं।

(17) अध्याय-8 में पैराग्राफ 152(13) में शब्द "सोने (वेस्टेज सहित) की प्रतिपूर्ति और चांदी (वेस्टेज रहित)" को संशोधित करके "वेस्टेज सहित सोने/चांदी की प्रतिपूर्ति के रूप में पढ़ा जायगा।"

(18) अध्याय-8 में पैराग्राफ 152(14)(2) के नीचे नोट में आने वाले शब्द "शुद्ध सोने के आंकड़ों की गणना (वेस्टेज सहित) को गई और चांदी (वेस्टेज रहित)" को संशोधित करके वेस्टेज सहित शुद्ध सोने/चांदी के आंकड़ों के रूप में गणना की गई।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी,
महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 167|(PN)|92—97

New Delhi, the 4th October, 1993

F. No. 9|2|93-EPC.—In exercise of the powers conferred under paragraph 16 of the Export & Import Policy, 1992—97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures, 1992—97 :—

(1) In Chapter VIII, paragraph 147 shall be amended to read as under :—

"147. The Gold|Silver wastage or manufacturing loss is allowed to exporters under Schemes (A) to (E). The percentage scale of Gold|Silver is linked with the value addition achieved as per Table given below:".

(2) In Chapter VIII, the heading of Table-I below paragraph 147 reading as "Gold Wastage Norms" shall be amended to read as "Wastage Norms".

(3) In Chapter VIII, Entry No. 'C' in both the columns of Table-I below paragraph 147 shall be substituted by the following :—

"C. Gold mountings and findings used in the plan or studded gold jewellery with value addition as follows :—	
(i) Value addition above 15% and upto 40%	Upto 3% of gold contents by weight.
(ii) Value addition above 40% and upto 50%	Upto 5% of the gold content by weight.
(iii) Value addition over 50%	Upto 8% of gold content by weight.

(4) In Chapter VIII, in Table-I below paragraph 147 following shall be added in the respective columns :

"D. Plain studded silver jewellery and articles with value addition (on silver content plus wastage) as follows :—	
(i) Value addition above 25 per cent and upto 40%	Upto 5% of silver content by weight
(ii) Value addition above 40%	Upto 7% of silver content by weight

(5) In Chapter VII, the first sentence of Note below Table-I of paragraph 147 reading as "The wastage norms given in Table-I above shall also apply, mutatis mutandis, to export of plain platinum jewellery and articles, and studded platinum jewellery and articles." shall be amended to read as "The wastage norms for gold jewellery given under categories A, B and C of Table-I above shall apply mutatis mutandis, to the export of platinum plain|studded jewellery and articles."

(6) In Chapter VIII, paragraph 150(6) the words "Gold Wastage" appearing in 13th line shall be amended to read as "Gold|Silver wastage".

(7) In Chapter VIII, paragraph 150(9)(iii) shall be amended to read as under :—

"(iii) ensure that the prescribed minimum value addition has been achieved and that the element of gold| silver used in the gold|silver jewellery and articles and the relevant wastage allowed taken together gives the value addition not lower than provided in Table-I under paragraph 147 in this Chapter. For plain and studded gold jewellery, the Custom authorities shall also ascertain the excess value addition, if any, over the minimum prescribed limit of 10% for plain gold jewellery and 15% for studded gold jewellery on the gold content plus wastages and over the minimum prescribed limit of 25% for both plain and studded silver jewellery on silver content plus wastages available under the scheme; and"

(8) In Chapter VIII, paragraph 150(12) the words "gold wastages" appearing in 12th line shall be amended to read as "gold|silver wastages".

(9) In Chapter VIII, the words "The figures of pure gold so calculated (with wastage) and silver (without wastage)" appearing in the Note below paragraph 150(14)(ii) shall be amended to read as "The figures of pure gold|silver so calculated with wastage".

(10) In Chapter VIII, paragraph 151(2) the words "gold wastage" appearing in 4th line shall be amended to reach as "gold|silver wastage".

(11) In Chapter VIII, paragraph 151(5) (ii) shall be amended to read as under :—

"(ii) The replenishment of gold|silver may be permitted provided element of gold| silver used in the gold|silver jewellery and articles plus the gold|silver wastage allowed taken together gives the value addition not lower than that provided in wastage norms Table-I in this chapter."

(12) In Chapter VIII, the words "The figure of pure gold so calculated (with wastage) and silver (without wastage)" appearing in the Note below paragraph 151(7)(iv) shall be amended to read as "The figure of pure gold|silver so calculated with wastage".

(13) In Chapter VIII, paragraph 151(6) the words "gold wastages" appearing in sixth line shall be amended to read as "gold|silver wastages".

(14) In Chapter VIII, paragraph 152(2) the last two sentences shall be substituted by the following :—

"While ordering the booking of gold|silver the exporter shall take into consideration the wastage proposed to be claimed by him. Once the quantity of gold|silver has been booked after accounting for gold|silver wastages, no additional entitlement on account of gold|silver shall be allowed to be claimed subsequently."

(15) In Chapter VIII, the words reading as "gold wastage" in 4th line and words reading as "gold|used" in 8th line of the para below paragraph 152(9) (iv) shall be amended to read as "gold|silver wastage" and "gold|silver used" respectively.

(16) In Chapter VIII, paragraph 152(10)(ii) shall be amended to read as under :—

"(ii) Ensure that the prescribed minimum value addition has been achieved. The Customs shall ensure that the element of gold|silver used in the goldsilver jewellery and articles plus the relevant wastage allowed taken together gives the value addition not lower than that provided in Table-I under paragraph 147 of this Chapter. For plain and studded gold jewellery, the Customs authorities shall also ascertain the excess value addition, if any, over the minimum prescribed limit of 10% for plain gold jewellery and 15% for studded gold jewellery on the gold content plus wastages and over the minimum prescribed limit of 25% for both plain and studded silver jewellery on silver content plus wastages available under the scheme;"

(17) In Chapter VIII, paragraph 152(13) the words "the replenishment of gold (including wastages) and silver (excluding wastages))" shall be amended to read as "the replenishment of gold| silver including wastages".

(18) In Chapter VIII, the words "The figures of pure gold so calculated (with wastage) and silver (without wastage)" appearing in the note below paragraph 152(14)(ii) shall be amended to read as "The figure of pure gold|silver so calculated with wastage".

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY,
Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993